# मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020

(धारा 140, 142, 146, 147, 155 तथा 161 के अधीन निर्मित)

दिनांक 25 सितम्बर, 2020 से प्रभावशील

(12)



क्र. एफ-2-5-2020-सात-शा.7 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2020

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (इकतीस), (बत्तीस), (चौंतीस), (पैंतीस), तथा (छत्तीस), के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 140,142,146,147,155 तथा धारा 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्रमांक 2457-62-सात-ना (नियम), दिनांक 18 मई 1961, तथा अधिसूचना क्रमांक 3814-2502-सात-ना (नियम), दिनांक 11 अगस्त 1961 द्वारा यथासंशोधित, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 189-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 2804-5041-सात-ना (नियम), दिनांक 12 जून, 1961 द्वारा यथासंशोधित, अधिसूचना क्रमांक 190-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 अधिसूचना क्रमांक 191-6477-सात-ना (नियम) 6 जनवरी, 1960, अधिसूचना क्रमांक 2549-5163-60-सात-ना (नियम) दिनांक 25 जून 1962, द्वारा यथा संशोधित क्रमांक एफ-1-4-सात-शा 8-87 दिनांक 4 जुलाई, 1988, अधिसूचना क्रमांक 192-6477-सात-ना-(नियम) दिनांक 25 जून 1962 अधिसूचना क्रमांक 2545-5163-सात-ना (नियम) दिनांक 26 जून 1962 द्वारा यथा संशोधित क्रमांक 1841-2882-सात-ना दिनांक 2 जून, 1972 अधिसूचना क्रमांक 336-सीआर-742-सात-ना (नियम) दिनांक 11 जनवरी, 1960 तथा अधिसूचना क्रमांक 194-6477-सात-ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र 18 अगस्त, 2020 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात् :-

(10)



# नियम

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020 है।

(2) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

**2. परिभाषाएं.** – (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "भूलेख पोर्टल" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का आधिकारिक वेब पोर्टल जिसके माध्यम से भू–राजस्व का आनलाइन भुगतान किया जा सकेगा;

(ख) "चालान" से अभिप्रेत है ऐसा फार्म जो बैंक अथवा वेब पोर्टल के माध्यम से भू–राजस्व का भुगतान करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है;

(ग) "संहिता" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);

(घ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ङ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(च) "अनुसूचित बैंक" से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक ; तथा

(छ) "धारा" से अभिप्रेत है संहिता की धारा ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हुए हों किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हों, तथा संहिता में परिभाषित किए गए हों, वे ही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिए दिए गए हों।

**3. भू–राजस्व के भुगतान की रीति.** – (1) उप–नियम (2) तथा (7) के अध्यधीन रहते हुए भू–राजस्व का भुगतान निम्न में से किसी रीति से किया जा सकेगा–

(क) भूलेख पोर्टल के माध्यम से सरकारी खजाने में सीधे भुगतान करके;

(ख) इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुसूचित बैंक के माध्यम से जमा करके;

(ग) ग्राम के पटेल को या जहां पटेल नियुक्त नहीं है, हल्के के पटवारी को भुगतान करके; या

(घ) सेक्टर के नगर सर्वेक्षक को भुगतान करके।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा उप–नियम (1) में विहित भुगतान की रीतियों में से किसी रीति को बंद कर सकेगी।

(3) पटेल, पटवारी या नगर सर्वेक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह उप–नियम (1) के अधीन उनके द्वारा प्राप्त धन को भूलेख पोर्टल के माध्यम से ऐसी अवधि के भीतर सरकारी खजाने में जमा करे जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए।

(4) भूलेख पोर्टल के माध्यम से भुगतान के मामले में भुगतान करने वाला व्यक्ति ऑनलाईन चालान भरेगा। उसे ऐसे पोर्टल पर "भू–राजस्व भुगतान" के आइकॉन को क्लिक करना होगा। आनलाइन भुगतान सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के पश्चात् **प्ररूप–एक** में एक इलेक्ट्रोनिक रसीद जनरेट की जाएगी।

(5) पटेल, पटवारी या नगर सर्वेक्षक को भू–राजस्व का भुगतान किए जाने के मामले में भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति **प्ररूप–दो** में, दो प्रतियों में भुगतान की रसीद तैयार करेगा तथा एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को दी जाएगी।

(6) किसी अनुसूचित बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में **प्ररूप–तीन** में तीन प्रतियों में चालान के साथ भुगतान किया जाएगा। धन प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा बैंक की मुद्रायुक्त एक प्रति भुगतान करने वाले व्यक्ति को लौटा दी जाएगी।

(7) उप नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा स्थानीय प्राधिकरण के किसी वर्ग को भू–राजस्व की ऐसी श्रेणियों का संग्रहण करने के लिए, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकृत कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना हो जाने पर भू–राजस्व की ऐसी श्रेणियों का भुगतान ऐसे स्थानीय प्राधिकरण को किया जाएगा, किसी अन्य रीति में नहीं। भुगतान की रसीद ऐसे प्ररूप में दी जाएगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा निदेशित की जाए।

**स्पष्टीकरण.**– स्थानीय प्राधिकरण से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन स्थापित कोई नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर परिषद या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अथवा कोई जिला पंचायत, जनपद पंचायत या ग्राम पंचायत।

4. **मांग की सूचना.** – (1) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना **प्ररूप–चार** में दो प्रतियों में जारी की जाएगी।

(2) विभिन्न बकायादारों को मांग की सूचना पृथक्–पृथक् जारी की जाएगी।

(3) ऐसी सूचना मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग–दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी और तामील करवाई जाएगी।

5. **बकाया के भाग के रूप में वसूली योग्य खर्चे.** – धारा 148 के अधीन बकाया के भाग के रूप मे निम्नलिखित दरों से खर्चे वसूले जाएंगें,–

(क) धारा 146 के अधीन मांग की सूचना की तामीली के लिये रुपए एक सौ ; तथा

(ख) धारा 147 के अधीन कोई आदेशिका जारी करने और प्रवर्तित करने के लिए रुपये पांच सौ।

**6. जंगम सम्पत्ति की कुर्की का वारंट** .– (1) धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन जंगम सम्पत्ति की कुर्की का प्रत्येक वारंट **प्ररूप–पांच** में जारी किया जाएगा और यदि उसका विक्रय प्रवर्तित कराया जाना है तो **प्ररूप–छह** में उद्घोषणा जारी की जाएगी।

(2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग–दो के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।

(3) ऐसे वारंट के अनुपालन में जंगम सम्पत्ति की कुर्की मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के भाग–छह के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

**7. स्थावर सम्पत्ति की कुर्की** .– (1) जब धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी), (बी, बी), (बी,बी,बी) अथवा (ग) के अधीन स्थावर सम्पत्ति को कुर्क किया जाना आदेशित हो, वहां **प्ररूप–सात** में प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी किया जाकर कुर्की की जाएगी।

(2) ऐसे आदेश की उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 72 के उप–नियम (2) में विहित रीति में की जाएगी।

**8. खाते का पट्टे पर दिया जाना.** – (1) जहां खाते को नीलामी द्वारा पट्टे पर दिया जाना हो वहां **प्ररूप–आठ** में एक उद्घोषणा जारी की जाएगी।

(2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के **भाग दो** के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।

(3) पट्टे पर दिए जाने की स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् **प्ररूप–नौ** में पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा।

**9. स्थावर सम्पत्ति का विक्रय** .– (1) जब स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाना हो तो –

(क) धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विक्रय के मामले में **प्ररूप–दस** में; या

(ख) धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय के मामले में **प्ररूप–ग्यारह** में;

विक्रय के लिए उद्घोषणा जारी की जाएगी।

(2) ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 79 के उपबंधों के अनुसार जारी की जाएगी।

**10. विक्रय का प्रमाण पत्र** .– (1) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के पश्चात्, –

(क) धारा 147 की उप– धारा (1) के खण्ड (बी) के अधीन विक्रय के मामले में **प्ररूप–बारह** में; या

(ख) धारा 147 की उप धारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन विक्रय के मामले में **प्ररूप–तेरह** में;

विक्रय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

**11. प्रकिया जब वह सम्पत्ति जिसके विरूद्ध कार्यवाही की जाना है, अन्य जिले में हो** .– जब वह सम्पत्ति जिसके विरूद्ध धारा 147 की उप–धारा (1) के खण्ड (बी) अथवा खण्ड (ग) के अधीन कार्यवाही की जाना है, उस जिले से भिन्न जिले में स्थित है, जिसमें बकाया उद्भूत हुआ हो तो उस जिले का कलक्टर उस जिले के कलक्टर के प्रस्ताव पर, जिसमें बकाया उत्पन्न हुए, अपेक्षित आदेशिका, प्रचलित करेगा।

**12. बैंक खाता या बैंक लॉकर की कुर्की** .– (1) जब धारा 147 की उप–धारा (2) के अधीन बैंक खाता या बैंक लॉकर को कुर्क किया जाना आदेशित किया गया हो तो **प्ररूप–चौदह** में प्रतिषिद्ध करने वाला आदेश जारी कुर्की की जाएगी।

(2) ऐसे आदेश की उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 56 के उप–नियम (3) में विहित रीति में की जाएगी।

**13. भू–राजस्व के बकाया का भुगतान करने में चूक करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी व परिरोध.** – (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 146 की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई मांग की सूचना में ऐसे बकाया के भुगतान के लिए मंजूर की गई अवधि के पश्चात् भी पचास लाख रूपये से अधिक के भू–राजस्व के भुगतान में चूक जारी रखता है तो तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी को तदनुसार रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु जहां ऐसी सूचना के प्रति धारा 146 की उप–धारा (2) के अधीन आपत्ति की गई हो वहां तहसीलदार ऐसी आपत्ति को विनिश्चित करने के पश्चात्, यदि अपेक्षित हो, तो उपखण्ड अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

**स्पष्टीकरण** :– इस नियम के प्रयोजन के लिए, भू–राजस्व के बकाया में सम्मिलित है धारा 155 के अधीन भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन ।

(2) उप नियम (1) के अधीन तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उपखण्ड अधिकारी ऐसे व्यक्ति को यह कारण दर्शित करने के लिए कि भू–राजस्व के ऐसे बकाया का भुगतान करने में असफल रहने के लिए क्यों न उसे सिविल कारागार के सुपुर्द कर दिया जाए, सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस को उसके समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए **प्ररूप–पंद्रह** में सूचना जारी कर सकेगा।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में उसमें विनिर्दिष्ट दिवस को उपस्थित होने में असफल रहता है और भू–राजस्व के ऐसे बकाया के भुगतान में चूक भी जारी रखता है तो उपखण्ड अधिकारी धारा 147 की उप–धारा (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए **प्ररूप–सोलह** में वारंट जारी कर सकेगा।

(4) जहां ऐसा व्यक्ति उप नियम (2) के अधीन जारी सूचना के पालन में उपखण्ड अधिकारी के समक्ष उपस्थित होता है या उप नियम (3) में जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट के अनुसरण में उसके समक्ष लाया जाता है, वहां उपखण्ड अधिकारी उसे यह कारण दर्शाने के लिए एक अवसर देगा कि उसे भू–राजस्व के ऐसे बकाया का भुगतान करने में असफल रहने के लिए सिविल कारागार को क्यों न सुपुर्द किया जाए।

(5) उप नियम (4) के अधीन जांच पूर्ण हो जाने पर, उपखण्ड अधिकारी धारा 147 की उपधारा (3), (4) तथा (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार को सुपुर्द करने के लिए आदेश कर सकेगा और **प्ररूप–सत्रह** में जेल के सुपुर्द करने का वारंट जारी कर सकेगा और उस दशा में, यदि वह पहले से ही गिरफ्तार नहीं है तो उसे गिरफ्तार करवाएगा।

(6) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 55 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित उप–नियम (3) तथा (5) के अधीन गिरफ्तारी को लागू होंगे।

(7) सिविल कारागार से उन्मोचन का आदेश **प्ररूप–अठारह** में होगा।

(8) धारा 147 की उप–धारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध किए जाने पर उपगत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

**14. भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन.** – (1) धारा 155 के अधीन कोई धन भू–राजस्व का बकाया की रीति से वसूल किया जाए, यह विनिश्चित करने वाला सक्षम प्राधिकारी **अनुसूची–एक** के अनुसार होगा।

(2) जहां सक्षम प्राधिकारी यह विनिश्चित करता है कि कोई धन धारा 155 के अधीन भू–राजस्व के बकाया की वसूली की रीति से वसूल किया जाना चाहिये तो वह तहसीलदार को अथवा ऐसे अन्य राजस्व अधिकारी को जिसे कि संहिता के अधीन बकाया वसूल करने के लिए सशक्त किया जाए, लिखित में आवेदन करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाने वाला आवेदन **प्ररूप–उन्नीस** में होगा और ऐसे आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी,–

(क) सक्षम प्राधिकारी जिसको कि धनराशि देय है ;

(ख) देय धनराशि ;

(ग) वह व्यक्ति जिससे कि धनराशि देय है ;

(घ) विधि का वह उपबंध जिसके अधीन धन राशि भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है ;

(ड) वह आदेशिका जिसके द्वारा धनराशि वसूल की जा सकेगी;

(च) वह सम्पत्ति जिसके विरुद्ध आदेशिका निष्पादित की जा सकेगी; तथा

(छ) यथास्थिति धारा 155 के खण्ड (घ), (ई), (एफ), (जी) या (ज) के अधीन अपेक्षित प्रमाण–पत्र।

(4) आवेदन प्राप्त होने पर तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी संहिता तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार उसका निराकरण करेगा।

(5) ये नियम ऐसे मामलों या मामलों के वर्ग को, जिन्हें कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा घोषित करे, लागू नहीं होंगे।

**15. भू–राजस्व में कमी.** – (1) धारा 161 की उप–धारा (1) के अधीन भू स्वामी द्वारा दिया जाने वाला आवेदन **प्ररूप–बीस** में होगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर कलक्टर आवेदन में दिए गए ब्यौरों की सत्यता के संबध में जांच तथा इस प्रकार की गई जांच के परिणामों की तीन मास से अनधिक की कालावधि के भीतर रिपोर्ट देने के लिए भू–अभिलेख अधीक्षक अथवा सहायक भू–अभिलेख अधीक्षक से अपेक्षा करेगा।

(3) जबकि धारा 161 की उप–धारा (1) के खण्ड (एक), (दो) अथवा (तीन) में वर्णित आधारों पर राजस्व में कमी चाही गई है वहां वह व्यक्ति जिसे जांच सौंपी गई है, स्थल का निरीक्षण करेगा और ऐसे आंकडे (डाटा) संग्रहीत करेगा जिन्हें कि वह आवेदन के निराकरण के लिए आवश्यक समझे।

(4) उप–नियम (3) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् कलक्टर आवेदक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने तथा अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बुलाएगा। यदि आवेदक तथा उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि कमी किए जाने का आदेश किया जाना चाहिए तो वह इस आशय का आदेश, उस रकम का उल्लेख करते हुए जिस तक कि खाते का भू–राजस्व कम किया जाना है, अभिलिखित करेगा जो आवेदक को तत्काल संसूचित किया जाएगा। आदेश की एक प्रति अधिकार अभिलेख तथा मांग सूची में पटवारी द्वारा आवश्यक सुधार करवाए जाने के लिए तहसीलदार को भेजी जाएगी :

परन्तु यदि यह कमी एक सौ रूपये से कम है तो ऐसी कमी किए जाने का कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

(5) भू–राजस्व की गणना मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

**16. निरसन तथा व्यावृत्ति.** – (1) निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं,–

(क) अधिसूचना क्रमांक 2457–62–सात–ना (नियम) दिनांक 18 मई, 1916 तथा क्रमांक 3814–2502–सात–ना (नियम) दिनांक 11 अगस्त, 1961 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 189–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 140 क अधीन भू–राजस्व के भुगतान के संबंध में बनाए गए नियम;

(ख) अधिसूचना क्रमांक 190–6477–सात–ना– (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, द्वारा धारा 142 के अंतर्गत भू–राजस्व के भुगतान की रसीद के संबंध में बनाए गए नियम;

(ग) अधिसूचना क्रमांक 2804–5041–सात–ना–(नियम) दिनांक 12 जून 1961 तथा अधिसूचना क्रमांक एफ 1 –4–सात–शा.–8–87 दिनांक 04 जुलाई, 1988, द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 191–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 144 के अंतर्गत भू–राजस्व के निलम्बन तथा माफी के संबंध में बनाए गए नियम;

(घ) अधिसूचना क्रमांक 2549–5163–60–सात–ना (नियम) दिनांक 25 जून, 1962 तथा अधिसूचना क्रमांक 1841–2882–सात–ना–1 दिनांक 02 जून, 1972, द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 192–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 06 जनवरी, 1960, द्वारा धारा 146 तथा 147 के अधीन मांग की सूचना तथा बकाया की वसूली के लिए आदेशिका के संबध में बनाए गए नियम;

(ड.) अधिसूचना क्रमांक 2545–5163–सात–ना (नियम) दिनांक 26 जून, 1962 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक 336–सी आर–742–सात– ना (नियम) दिनांक 11 जनवरी, 1960 द्वारा धारा 155 के अधीन भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य धन के संबंध में बनाए गए नियम;

(च) अधिसूचना क्रमांक 194–6477–सात–ना (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 द्वारा 161 के अंतर्गत राजस्व में कमी के संबंध में बनाए गए नियम,

(2) ऐसे निरसन से निरसित नियमों के किसी उपबंध के पूर्व प्रवर्तन पर अथवा उसके अधीन सम्यकरूप से की गई किसी बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसका यह प्रभाव होगा मानों वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात हो।

## अनुसूची–एक
(नियम 14 देखिए)

### कोई धन भू–राजस्व के बकाया की रीति में वसूल किया जाना चाहिए यह विनिश्चित् करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

| अनु. क्रमांक | धन की श्रेणी | सक्षम प्राधिकारी |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | **धारा 155 के खण्ड (क) के अधीन**<br>ऐसे प्रभारों के सिवाय जो धारा 58 की उप–धारा (2) के अधीन भू–राजस्व में सम्मिलित किये गये हैं, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय या उद्ग्रहणीय समस्त लगान, रायल्टी, जल दरें, उपकर, फीस, प्रभार, प्रीमियम, शास्तियाँ, जुर्माने तथा खर्च | संहिता के अधीन देय या उद्ग्रहणीय धन के मामले में, तहसीलदार<br>किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन देय या उद्ग्रहणीय धन के मामले में, ऐसी अधिनियमिति के अधीन ऐसे धन या उद्ग्रहण के भुगतान के लिए आदेश देने वाला न्यायालय, प्राधिकारी या अधिकारी |
| 2. | **धारा 155 के खण्ड (ख) के अधीन**<br>ऐसे समस्त धन जो किसी ऐसे अनुदान, पट्टे या संविदा के, जिसमें यह उपबंध हो कि वे उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है, के अधीन राज्य सरकार को शोध्य होते हैं | ऐसा अनुदान, पट्टा या संविदा मंजूर करने वाला प्राधिकारी या अधिकारी |
| 3. | **धारा 155 के खण्ड (खख) के अधीन**<br>किसी प्रत्याभूति–संविदा के अधीन प्रत्याभूत की गई रकम की सीमा तक राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूत किये गये समस्त धन जिनमें यह उपबंध हो कि वे उसी रीति में वसूली योग्य होंगे जिसमें कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है | ऐसी प्रत्याभूति मंजूर करने वाला प्राधिकारी या अधिकारी |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | **धारा 155 के खण्ड (ग) के अधीन**<br>ऐसी समस्त राशियाँ जिनके बारे में इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा यह घोषित किया गया हो कि वे उसी रीति में वसूल योग्य होंगी जिस रीति में कि भू–राजस्व का बकाया वसूल किया जाता है | संहिता के अधीन वसूली योग्य राशियों के मामले में, तहसीलदार<br>किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन वसूली योग्य राशियों के मामले में, ऐसी वसूली का आदेश देने वाला न्यायालय, प्राधिकारी या अधिकारी |
| 5 | **धारा 155 के खण्ड (घ) के अधीन**<br>कोई ऐसी राशि जिसके बारे में राज्य के किसी क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन नियुक्त किये गये समापक द्वारा यह आदेश दिया गया है कि वह किसी सोसाइटी की आस्तियों के प्रति अभिदाय के रूप में या समापन के खर्च के रूप में वसूल की जाय | ऐसी विधि के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार |
| 6 | **धारा 155 के खण्ड (ड.) के अधीन**<br>वह धन जो मध्यप्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों | उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध संचालक |
| 7 | **धारा 155 के खण्ड (च) के अधीन**<br>वह धन जो मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित को देय होते हों | उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध संचालक |
| 8 | **धारा 155 के खण्ड (छ) के अधीन**<br>वह धन जो मध्यप्रदेश लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड को देय होते हों | उक्त कार्पोरेशन का प्रबंध संचालक |
| 9 | **धारा 155 के खण्ड (ज) के अधीन**<br>वह धन जो राज्य सरकार के स्वामित्व और राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित ऐसी सत्ता (ऐंटिटी) जो कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए को देय होते हों | उक्त सत्ता (ऐंटिटी) का मुख्य कार्यपालक, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो |

प्ररूप –एक
(नियम 3 (4) देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020
सफल भुगतान के पश्चात् रसीद जनरेट होगी।
भू–राजस्व की रसीद (आवेदक की प्रति)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| आवेदन क्रमांक : .....<br>Application No..... | ग्राम/नगर.....<br>Village/Town.....<br>..... | जीएसटीएन.....<br>GSTN..... | दिनांक .....<br>Date..... | रसीद संख्या .....<br>Receipt No..... |
| पटवारी हल्का क्रमांक/<br>सेक्टर क्रमांक .....<br>Patwari Halka No/Sector No..... | राजस्व निरीक्षक वृत्त.....<br>Revenue Inspector Cirvle..... | | तहसील .....<br>Tahsil.....<br>..... | जिला .....<br>District..... |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेवा के ब्यौरे .....<br>Particulars of service..... | आवेदक/जमाकर्ता का नाम<br>.....<br>Name of applicant/Depositor.....<br>..... | | Public user def def | | |
| वर्ष .....<br>Year ..... | खाता संख्या...<br>...<br>Holding No..... | क्षेत्रफल.....<br>Area..... | भुगतान की गई भू–राजस्व की राशि रुपये.....<br>.....<br>Amount of land revenue paid rupees..... | सेवा शुल्क रुपये .....<br>.....<br>Service fee rupees....<br>..... | योग रुपये.....<br>.....<br>.....<br>Total rupees.....<br>..... |

| | |
|---|---|
| जिसके पश्चात् रसीद बंद करें व "कुल राजस्व भुगतान राशि" भरें। | After which close the receipt & pay for "Kul Rajasv bhugtan rashi". |
| चेकबॉक्स बटन का चयन करके "जमा करें" बटन पर क्लिक करें। | Select checkbox button & clicl on "jama kare" button. |
| टिप्पणः– यह एक कम्प्यूटर जनेरेटेड रसीद है और इस पर हस्ताक्षर और मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। | Note:- This is a computer generated receipt and no need of signature and seal on it. |

प्ररूप–दो दो प्रतियों

(नियम 3 (5) देखिए)

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**पटेल, पटवारी तथा नगर सर्वेक्षक द्वारा प्रदान की जाने वाली रसीद**

पुस्तक संख्या.....रसीद संख्या..... दिनांक.....

1– खातेदार का नाम – .....

2– भूमिस्वामी या सरकारी पट्टेदार – .....(जो लागू हो √ करें)

3– जिला.....तहसील.....ग्राम/नगर.....?

पटवारी हल्का क्रमांक /सेक्टर क्रमांक ..... खाता क्रमांक .....

| सर्वेक्षण संख्यांक/ब्लॉक संख्यांक/भू–खण्ड संख्यांक | क्षेत्रफल (हैक्टर या वर्ग मीटर में) | भूमिस्वामी/सरकारी पट्टेदार या भुगतान करने वाले अन्य व्यक्ति का नाम | बकाया के ब्यौरे तथा वर्ष | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | वर्ष | बकाया के ब्यौरे | बकाया राशि (रुपए में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | | |

| कॉलम (5) के विरूद्ध भुगतान की गई राशि | | भुगतान की गई राशि शब्दों में | अग्रिम भुगतान के ब्यौरे (10 वर्ष तक) तथा राशि (शब्दों में तथा अंकों) | बकाया अवशेष /चालू | कुल प्राप्त राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष | भुगतान की गई राशि | | | | |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | |
| | | | | | |

भुगतान करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर तथा पदनाम

**टिप्पण** :–1. शासकीय देयों का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने खाते का निःशुल्क निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

2. शासकीय देय के भुगतान के बारे में इससे अन्य किसी प्ररूप मे रसीद मान्य नही हैं।

प्ररूप–तीन तीन प्रति में

[(नियम 3 (6) देखिए)]

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**अनुसूचित बैंक के माध्यम से भुगतान के मामले में चालान रसीद**

कोषालय में भुगतान किये गये धन का चालान
(कोषालय नियम 10 के सहायक नियम 19 तथा 22)
(तीन प्रति में प्रस्तुत किया जाए)

| किसके द्वारा लाया गया | किस बाबत् | शीर्ष | राशि रूपए में |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | योग | |

**राजस्व का शीर्ष**

| विभाग का कोड तथा नाम | मुख्य शीर्ष | उप मुख्य शीर्ष | उप लघु शीर्ष | योजना शीर्ष | प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| मर्चेन्ट संख्या..... ..... | | एचओए का विवरण..... ..... | | अधिनियम / संहिता..... | सीआरएन संख्या..... |
| बैंक स्क्रॉल संख्या | स्क्रॉल दिनांक | सीआइएन संख्या | | बीआरएन संख्या | |
| | | | | | |

(कोषालय के कार्यालयीन उपयोग हेतु)

| परीक्षित | प्राप्त | प्रविष्ट | |
|---|---|---|---|
| | रुपए अंकों में ..... | चालान संख्या | चालान दिनांक |
| | रुपए शब्दों में ..... | ..... | ..... |
| लेखापाल के आद्याक्षर | कोषाधिकारी के हस्ताक्षर | कोषाधिकारी के हस्ताक्षर | |

मुद्रा भुगतान प्राप्त करने वाले बैंक कर्मचारी के हस्ताक्षर

## प्ररूप –चार

(नियम 4 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय ............................................

प्रकरण क्रमांक..................

## मांग की सूचना

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 146 के अधीन)

प्रति,

श्री .......................... पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ......................... निवासी ................... ग्राम/नगर ................................ तहसील ...................... जिला ..........................

आपसे एतद्द्वारा यह सूचना ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है कि संलग्न विवरण पत्र में दिए गए ब्यौरे के अनुसार भू–राजस्व के बकाया के लेखे आप पर रूपये .............. देय हैं तथा यह कि यदि शास्ति, ब्याज एवं सूचना तामील करने के खर्चे (जो रूपये ................ है) सहित इस सूचना की प्राप्ति के .................. दिन के भीतर उसका भुगतान नहीं किया गया तो देय की वसूली हेतु आपके विरूद्ध प्रपीडक कार्रवाई की जाएगी।

राशि रूपए में

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | खाता क्रमांक | बकाया राशि | शास्ति और ब्याज | सूचना तामील करने के खर्चे | कुल देय राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक ................ ..................................................................

671

**नोटिस की तामील व्यक्तिशः किए जाने पर पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाएगा –**

| | |
|---|---|
| साक्षी के हस्ताक्षर.....<br>नाम.....<br>पिता/पति का नाम.....<br>पता.....<br>.....<br>मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई हो) | प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर .....<br>नाम.....<br>मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई है)<br>(प्रेषिती से भिन्न होने पर उससे संबंध).....<br>.. |
| नोटिस मेरे द्वारा दिनांक.....को तामील किया गया।<br>तामीलकर्ता के हस्ताक्षर.....<br>नाम.....<br>पदनाम.....<br>दिनांक, ..... 20..... | तहसील के माध्यम से नोटिस तामील किए जाने की दशा में माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर<br>हस्ताक्षर.....<br>नाम.....<br>मुद्रा पदनाम.....<br>दिनांक .....20..... |

**जहां नोटिस की तामील चस्पा द्वारा की जाती है, पृष्ठांकन निम्नानुसार किया जाएगा –**

| | |
|---|---|
| साक्षीगण जिनके द्वारा गृह की पहचान की गई और जिसकी उपस्थिति में नोटिस चस्पा किया गया था<br>(1) साक्षी के हस्ताक्षर .....<br>नाम.....<br>पिता/पति का का नाम.....<br>पता.....<br>.....<br>मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई हो)<br><br>(2) साक्षी के हस्ताक्षर.....<br>नाम.....<br>पिता/पति का का नाम.....<br>पता.....<br>.....<br>मोबाईल नम्बर .....(यदि कोई हो) | 1. नोटिस मेरे द्वारा..... (स्थान का नाम) पर दिनांक..... को पार्श्व में उल्लेखित साक्षीगणों की उपस्थिति में चस्पा कर तामील किया गया।<br><br>2. नोटिस की तामील चस्पा द्वारा किये जाने का कारण .....<br>.....<br>.....<br><br>तामीलकर्ता के हस्ताक्षर.....<br>नाम.....<br>पदनाम.....<br>दिनांक .....20..... |
| तहसील के माध्यम से नोटिस तामील किए जाने की दशा में माल जमादार के प्रतिहस्ताक्षर<br>हस्ताक्षर.....<br>नाम.....<br>पदनाम.....<br>मुद्रा<br>दिनांक .....20..... | |

6 72

प्ररूप –पांच

(नियम 6 देखिए)

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

समक्ष न्यायालय.....

प्रकरण क्रमांक.....

जंगम संपत्ति की कुर्की का वारंट

(मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (1) (क) के अधीन)

प्रति,

.....

[उस व्यक्ति का नाम व पद जिसे कि वारंट के निष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है]

क्योंकि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... तहसील जिला ..... ने भू–राजस्व के बकाया के लेखे संलग्न अनुसूची–एक में दिए गए विवरण के अनुसार रुपये ..... के भुगतान में चूक की है, आपको एतद्द्वारा नीचे अनुसूची–दो में यथावर्णित जंगम संपत्ति को कुर्क करने तथा जब तक कि कुल देय धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, इस न्यायालय का आगामी आदेश होने तक उस संपत्ति को धारण करने का आदेश दिया जाता है।

आपको यह वारंट दिनांक .....20 को या उसके पूर्व उस दिनांक तथा रीति का, जिसमें उसका निष्पादन किया गया अथवा उसका निष्पादन क्यों नहीं किया गया, यह प्रमाणीकरण करते हुए पृष्ठांकन सहित वापस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।

अनुसूची – एक

**देय बकाया के ब्यौरे**

राशि रूपए में

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | खाता क्रमांक | बकाया के ब्यौरे | | शास्ति तथा ब्याज | देय राशि कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बकाया राशि | आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

## अनुसूची –दो

## कुर्क की गई जंगम संपत्ति के ब्यौरे

1. .....

2. .....

मुद्रा

तहसीलदार

दिनांक .....

**प्ररूप –छह**

**(नियम 6 देखिए)**

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**समक्ष न्यायालय .....**

**प्रकरण क्रमांक.....**

**जंगम संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा**

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (क) के अधीन]**

क्योंकि नीचे विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति को श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... द्वारा देय भू–राजस्व के बकाया, शास्ति, ब्याज और कार्यवाहियों के खर्चों के लेखे वसूली के लिए कुर्क किया गया है।

एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के लिए नियत दिनांक के पूर्व देय राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता तो उक्त संपत्ति का विक्रय स्थान ..... पर दिनांक ..... सन् 20 ..... को ..... बजे या उस समय के लगभग लोक नीलामी द्वारा कर दिया जाएगा:–

| अनु. क्रमांक | जंगम सम्पत्ति का विवरण | वस्तुओं की संख्या |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक ..... .....

674

प्ररूप —सात
(नियम 7 देखिए)
मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता (भू—राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय ..........................................

प्रकरण क्रमांक....................

खाता/स्थावर संपत्ति की कुर्की
[मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (बी), 147 (1) ( बी बी ), 147(1) (बी बी बी ) तथा 147 (1) (ग) के अधीन]

क्योंकि श्री ......................... पुत्र/पुत्री/पत्नि ...................... निवासी...................... तहसील ..................... जिला ........................ने उसके द्वारा देय.......................... के लेखे नीचे अनुसूची—एक में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रूपए .................. के भुगतान में चूक की है।

अनुसूची —एक
देय बकाया के ब्यौरे

राशि रूपयों में

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | खाता क्रमांक | बकाया के ब्यौरे | | शास्ति तथा ब्याज | देय राशि कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | बकाया राशि | आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

यह आदेश दिया जाता है कि उक्त .................... को निम्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति को विक्रय, दान या अन्यथा अन्तरित या भार युक्त करने से इस न्यायालय के आगामी आदेश तक निषेधित किया जाता एवं रोका जाता है उसी प्रकार तथा उसे क्रय, दान या अन्यथा प्राप्त करने से एतद्द्वारा निषेधित किया जाता है।

अनुसूची—दो
(स्थावर संपत्ति का विवरण)

1. .................
2. .................

मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा द्वारा आज दिनांक ........... 20....... को जारी किया गया।

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक ..............

675

**प्ररूप –आठ**

**(नियम 8 देखिए)**

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**समक्ष न्यायालय .....**

**प्रकरण क्रमांक.....**

## खाते को पट्टे पर देने की उद्घोषणा

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (1)(बी बी) तथा 147 (1) (बी बी बी) के अधीन]**

क्योंकि श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला..... के नीचे विनिर्दिष्ट खाते/खातों को कॉलम (6) में विनिर्दिष्ट भू–राजस्व के बकाया तथा आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे के कारण देय ..... रूपए की वसूली के लिए कुर्क किया गया है;

एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि शोध्य रकम पट्टे पर देने के लिए एतद्द्वारा नियत दिन के पूर्व न चुकाई गई तो उक्त खाता/खातों को उस /उन पर अधिरोपित समस्त भारों और उसके/उनके संबंध में किए गए समस्त अनुदानों से एवं संविदाओं से मुक्त स्थान ..... पर दिनांक ..... को या ..... बजे के लगभग सार्वजनिक नीलामी द्वारा ..... कृषि वर्षों की कालावधि के लिए पट्टे पर दे दिया जाएगा।

**राशि रूपयों में**

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | खाता क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | निर्धारण | बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

टिप्पणी– 1. प्रत्येक खाते पर शोध्य भू–राजस्व के बकाया को कालम (6) में पृथक् रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए।

2. यदि किसी खाते में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक, उपखंड समाविष्ट हों तो पट्टे को संचालित करने वाले अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे संख्यांकों में से एक या अधिक संख्यांकों को, जैसा कि बकाया वसूल करने के हेतु आवश्यक समझा जाए, पट्टे पर दे।

खाते का पट्टे पर दिया जाना निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होगा:--

(एक) मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खण्ड (ठ) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित "भूमिहीन व्यक्ति" ही नीलामी में बोली लगाने का पात्र होगा।

(दो) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग में के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे या अन्यथा के रूप में अंतरण नहीं करेगा तथा यदि ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा।

(तीन) पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।

(चार) पट्टेदार अपने पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि पर पूर्ण निर्धारण का भुगतान करेगा।

(पांच) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करेगा।

(छह) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किए गए सुधारों के बारे में उसके द्वारा किए गए व्ययों की बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(सात) पट्टेदार उसके पक्ष में नीलामी की बोली खत्म की जाने के तुरंत पश्चात् बोली की कुल रकम का भुगतान करेगा या वह बोली की रकम का कम से कम 1/4 भाग का तुरंत भुगतान कर सकेगा तथा शेष रकम का नीलाम के दिनांक से 15 दिन के भीतर उसके द्वारा भुगतान किया जाएगा।

(आठ) यदि शेष रकम का पट्टेदार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर भुगतान नही किया जाता है तो पूर्व में जमा की गई बोली की रकम समपहृत कर ली जाएगी तथा पुनः नीलामी की जाएगी।

(नौ) यह तहसीलदार के विवेक पर होगा कि वह अधिकतम बोली को स्वीकार करे या न करे तथा भूमि को पट्टे पर दे।

(दस) पट्टे की कालावधि समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जाएगा तथा पट्टे के अधीन भूमि उसके मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी जाएगी।

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक ..... .....

677

प्ररूप –नौ

(नियम 8 देखिए)

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

प्रकरण क्रमांक.....

**पट्टा विलेख**

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (बी बी) तथा 147(1) (बी बी बी) के अधीन]**

ग्राम/नगर ..... तहसील ..... जिला ..... में स्थित उस भूमि, जिसे संलग्न अनुसूची में और विशिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है, का यह अस्थायी पट्टा तहसील .....जिला ..... के तहसीलदार द्वारा श्री ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... जिला ..... को (जिसे इसमें इसके पश्चात् पट्टाग्रहीता के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) निम्नलिखित निबंधनों तथा शर्तों पर प्रदान किया जाता है:–

(1) पट्टेदार भूमि को कृषि वर्ष ..... से कृषि वर्ष ..... तक धारण करेगा।

(2) पट्टेदार भूमि का केवल कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग करेगा।

(3) पट्टेदार भूमि या उसके किसी भाग पर स्थायी प्रकार का कोई निर्माण नही करेगा।

(4) पट्टेदार पट्टे की कालावधि के दौरान भूमि में किए गए सुधारों के बारे में उसके द्वारा किए गए व्ययों की बाबत् किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(5) पट्टेदार पट्टे के दिनांक के आगामी राजस्व वर्ष से भूमि के पूर्ण निर्धारण का भुगतान करेगा।

(6) पट्टेदार अपनी भूमि या उसके किसी भाग में के किसी अधिकार का विक्रय, दान, बंधक, उप पट्टे या अन्यथा अंतरण नहीं करेगा तथा यदि ऐसा अंतरण किया जाता है तो वह शून्य होगा।

(7) पट्टे की कालावधि समाप्त हो जाने पर पट्टा अपने आप रद्द हो जाएगा तथा पट्टे के अधीन भूमि उसके मूल स्वामी को अंतरित कर दी गई समझी जाएगी।

(8) यदि पट्टेदार विनिर्दिष्ट दिनांक को भू–राजस्व का भुगतान न करे या ऊपर विनिर्दिष्ट की गई शर्तों में से किसी भी शर्त का भंग करे तो तहसीलदार भूमि में प्रवेश कर सकेगा तथा खड़ी फसलों (यदि कोई हों) सहित भूमि का कब्जा ले सकेगा और तहसीलदार इस संबंध में कोई नुकसानी या प्रतिकर चुकाने के दायित्वाधीन नहीं होगा।

अनुसूची

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक /सेक्टर क्रमांक | सर्वेक्षण संख्यांक | पट्टे पर दी गई भूमि का क्षेत्रफल | निर्धारण | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

आज दिनांक ..... 20..... को प्रदत्त किया गया।

साक्षीगण –

तहसीलदार

1. .....
2. .....

मैंने ऊपर विनिर्दिष्ट शर्तें पढ़ तथा समझ ली हैं और मैं उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

साक्षीगण –

1. .....
2. .....

पट्टेदार के हस्ताक्षर

**प्ररूप –दस**

**(नियम 9 देखिए)**

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**समक्ष न्यायालय .....**

**प्रकरण क्रमांक.....**

**खाते के विक्रय की उद्घोषणा**

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1)(बी) के अधीन]**

क्योंकि नीचे विनिर्दिष्ट खाता/खातों को श्री..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... पर कालम (6) में विनिर्दिष्ट भू–राजस्व के बकाया तथा आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे रूपए..... की वसूली हेतु कुर्क किया गया है;

एतद्द्वारा यह उद्घोषणा की जाती है कि यदि एतद्द्वारा विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व देय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उक्त खाता/खातों का उस पर/उन पर अधिरोपित समस्त भारों और उसके/उनके संबंध में किए गए समस्त अनुदानों से एवं संविदाओं से मुक्त ..... पर ..... दिनांक.....20 को ..... बजे या लगभग सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा।

**राशि रूपयों में**

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक | खाता क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | निर्धारण | बकाया |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

टिप्पणी :– (एक) प्रत्येक खाते पर शोध्य भू–राजस्व के बकाया को कॉलम (6) में पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(दो) यदि किसी खाते में एक से अधिक सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड समाविष्ट हों तो विक्रय को संचालित करने वाले अधिकारी को यह स्वतंत्रता होगी कि वह ऐसे संख्यांकों में से एक या अधिक संख्यांकों का, जैसा कि बकाया वसूल करने के हेतु आवश्यक समझा जाए, विक्रय करे।

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक .....

प्ररूप –ग्यारह

(नियम 9 देखिए)

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की वसूली) नियम, 2020**

**समक्ष न्यायालय** .....

**प्रकरण क्रमांक**.....

स्थावर संपत्ति के विक्रय की उद्घोषणा

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (ग) के अधीन]**

क्योंकि नीचे वर्णित स्थावर संपत्ति ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी तहसील ..... जिला .....पर ..... के लेखे देय रूपए ..... तथा आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे के लेखे देय रूपए ..... की वसूली हेतु कुर्क की गई है;

एतद्द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि यदि इसमें विक्रय के लिए नियत दिनांक से पूर्व उपरोक्त संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है तो उक्त संपत्ति का विक्रय स्थान ..... पर दिनांक ..... सन् 20 ..... को ..... बजे या उसके लगभग सार्वजनिक नीलाम द्वारा कर दिया जाएगा।

विक्रय का विस्तार केवल उक्त संपत्ति में उक्त बकायादार के अधिकारों, हकों तथा हितों तक सीमित होगा।

संपत्ति के ब्यौरे

| अनुक्रमांक | विवरण | निर्धारण, (यदि कोई हो) (रूपए में) | किसी भी ज्ञात भार आदि की टिप्पणी |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक ..... .....

**प्ररूप –बारह**
**(नियम 10 देखिए)**
**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**समक्ष न्यायालय .....**

**प्रकरण क्रमांक.....**

**भूमि के हेतु विक्रय प्रमाण पत्र**
**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (बी) के अधीन]**

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ग्राम ..... तहसील..... जिला ..... को दिनांक.....20..... को आयोजित सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय में नीचे विनिर्दिष्ट खाते का क्रेता घोषित किया गया है।

ऐसे विक्रय द्वारा क्रेता को वह संपत्ति उस पर अधिरोपित समस्त भारों से तथा क्रेता से भिन्न किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके संबंध में किए गए समस्त दानों एवं संविदाओं से मुक्त रूप में हस्तांतरित हुई है।

| ग्राम/नगर | पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक | खाता क्रमांक | क्षेत्रफल (हेक्टर में) | निर्धारण (रूपए में) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

| खाते में समाविष्ट सर्वेक्षण संख्यांकों/ब्लॉक संख्यांकों /भू–खण्ड संख्यांकों के ब्यौरे | दर्ज भूमिस्वामी का नाम | धन राशि जिसमें क्रय किया गया (रूपए में) |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| | | |

मुद्रा तहसीलदार

दिनांक ..... .....

प्ररूप –तेरह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय .....

प्रकरण क्रमांक.....

स्थावर संपत्ति का विक्रय प्रमाण पत्र

[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(1) (ग) के अधीन]

यह प्रमाणित किया जाता है कि.....पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... जिला ..... को दिनांक .....20 को आयोजित सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय में नीचे विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति का क्रेता घोषित किया गया है।

ऐसे विक्रय द्वारा क्रेता को उक्त संपत्ति में के..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... के अधिकार, हक तथा हित अंतरित हुए हैं।

संपत्ति के ब्यौरे

| अनुक्रमांक | विवरण | स्थान (जहां संपत्ति स्थित है) | निर्धारण (यदि कोई हो) (रूपए में) | दर्ज स्वामी/भूमि –स्वामी का नाम | धनराशि जिसमें क्रय किया गया (रूपए में) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

मुद्रा

दिनांक .....

तहसीलदार

.....

प्ररूप –चौदह
(नियम 12 देखिए)
**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

समक्ष न्यायालय .....

प्रकरण क्रमांक.....

**बैंक खाता/बैंक लॉकर की कुर्की का वारंट**
**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (2) के अधीन]**

प्रति,

.....

(उस व्यक्ति का नाम व पदनाम जिसे कि वारंट के निष्पादन का उत्तरदायित्व सौंपा गया है।)

क्योंकि ..... पुत्र/पुत्री/पत्नि ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... ने भू–राजस्व के लेखे संलग्न अनुसूची–एक में दिए गए विवरण के अनुसार .....रुपए के भुगतान में चूक की है। आपको एतद्द्वारा उक्त व्यक्ति के अनुसूची–दो में दिए गए विवरण के अनुसार बैंक खाते/बैंक लॉकर को कुर्क करने तथा जब तक कि देय संपूर्ण राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता, उसे इस न्यायालय की आगामी आज्ञापर्यंत धारण करने की आज्ञा दी जाती है। इस आदेश से आपको बकायादार का दूसरा बैंक खाता अथवा बैंक लॉकर खोले जाने से रोका जाता है।

आपको यह वारंट दिनांक ..... को या उसके पूर्व इस पृष्ठांकन सहित, जिसमें उस दिनांक का जिसको और उस रीति का, जिसमें इसका निष्पादन हुआ या इसका क्यों निष्पादन नहीं हुआ, प्रमाणन हो, वापस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।

**अनुसूची–एक**
**देय बकाया का विवरण**

| बकाया राशि | आदेशिका जारी करने तथा उसके प्रवर्तन के खर्चे | शास्ति और ब्याज (यदि कोई हो) | (राशि रूपए में) कुल देय राशि |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

**अनुसूची–दो**

1. बैंक लॉकर्स के ब्यौरे .....
2. बैंक खाता क्रमांक के ब्यौरे .....

मुद्रा

तहसीलदार

दिनांक .....

.....

**प्ररूप –पंद्रह**

(नियम 13 देखिए)

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

..... समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

प्रकरण क्रमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

**सूचना**

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (3) के अधीन]**

प्रति,

कु/श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नि.....

निवासी ग्राम/नगर.....तहसील.....जिला.....

क्योंकि आपने तहसील ..... जिला ..... के तहसीलदार द्वारा दिनांक ..... को आप पर तामील की गई मांग की सूचना क्रमांक..... की तामीली के बावजूद भू–राजस्व के भुगतान में, जिसकी राशि रूपये ..... (रूपये.....) होती है, चूक की है।

अतएव, आपसे एतद्द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक ..... 20 ..... को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कारण दर्शाएं कि उक्त धनराशि जमा करने में असफल रहने के कारण आपको सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों न कर दिया जाए।

आज दिनांक .....20..... को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

मुद्रा

दिनांक.....

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड .....

जिला .....

प्ररूप –सोलह

(नियम 13 देखिए)

**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**समक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी .....**

**प्रकरण क्रमांक...../20.....**

**..... आवेदक**

**विरूद्ध**

**..... अनावेदक**

**गिरफ्तारी वारंट**

**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 147 की उप धारा (3) के अधीन शक्तियों के प्रयोग में जारी]**

प्रति,

.....

.....

(उस व्यक्ति का नाम व पद जिसे कि वारंट का निष्पादन करना है)

क्योंकि ..... (वारंटी का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....निवासी..... (पूरा पता) ने उस पर तहसीलदार .....तहसील ..... जिला ..... द्वारा तामील की गई मांग की सूचना क्रमांक ..... के बावजूद भू–राजस्व के भुगतान में, जिसकी राशि रूपये ..... (रूपये .....) होती है, चूक की है।

और क्योंकि ..... (वारंटी का नाम) से सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने तथा यह कारण दर्शाने की अपेक्षा की गई थी कि उक्त राशि जमा करने में असफल रहने के कारण उसे सिविल कारागार के सुपुर्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

और क्योंकि उक्त ..... उपरोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट दिवस को इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहा है और उसने उक्त राशि का भुगतान करने में भी चूक जारी रखी है;

अतएव, आपको उक्त.....(वारंटी का नाम) को यदि वह उक्त राशि का भुगतान कर दिए जाने का सबूत नहीं सौंप देता है तो उसे गिरफ्तार करने तथा समस्त सुविधाजनक शीघ्रता से इस न्यायालय के समक्ष लाए जाने के लिए आदेशित किया जाता है;

आपको यह वारंट दिनांक .....20..... को या उसके पूर्व इस पृष्ठांकन सहित, जिसमें उस दिनांक का, जिसको और उस रीति का, जिसमें इसका निष्पादन हुआ या इसका क्यों निष्पादन नहीं हुआ, प्रमाणन हो, वापस लौटाने का भी आदेश दिया जाता है।

आज दिनांक .....20..... को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

मुद्रा उपखण्ड अधिकारी

दिनांक उपखण्ड .....

प्ररूप –सत्रह
(नियम 13 देखिए)
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी .....

प्रकरण क्रमांक.....

.....

विरूद्ध

.....

जेल के सुपुर्द करने का वारंट
[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(3) के अधीन]

प्रति,

भारसाधक अधिकारी जेल .....

क्योंकि ..... ने तहसील ..... जिला ..... के तहसीलदार द्वारा दिनांक ..... को उस पर तामील की गई मांग की सूचना क्रमांक ..... के बावजूद भू–राजस्व के भुगतान में, जिसकी राशि रूपये ..... (रूपये .....) होती है, चूक की है;

और क्योंकि ..... से सूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा की गई थी;

और क्योंकि न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने /लाए जाने पर वह न्यायालय का यह समाधान नहीं कर सका है कि उसे सिविल कारागार को क्यों सुपुर्द नहीं किया जाना चाहिए;

अतएव आपको एतद्द्वारा समादेश दिया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त ..... को सिविल कारागार में लें और प्राप्त करें और उसे दिनांक ..... से दिनांक ..... तक (दोनों दिन सम्मिलित करते हुए) ..... दिन की कालावधि के लिए वहां कारावासित रखें।

आज दिनांक .....20..... को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

मुद्रा
दिनांक.....

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड .....
जिला .....

प्ररूप –अठ्ठारह
(नियम 13 देखिए)
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020

समक्ष न्यायालय उपखंड अधिकारी .....

प्रकरण क्रमांक.....

.....
विरूद्ध
.....

छोड़े जाने के लिए आदेश
[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147(5) के अधीन]

प्रति,

भारसाधक अधिकारी जेल.....

आज पारित आदेश के अधीन आपको एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि अब ..... को, जो इस समय आपकी अभिरक्षा में है, जब तक कि वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध रखे जाने के दायित्वाधीन न हो, मुक्त कर दें।

आज दिनांक ..... 20..... को मेरे हस्ताक्षर से तथा न्यायालय की मुद्रा लगाकर प्रदत्त।

मुद्रा
दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड .....
जिला .....

प्ररूप –उन्नीस
(नियम 14 देखिए)
**मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020**

**राशियों की भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली के लिए आवेदन पत्र**
**[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 155 के अधीन]**

प्रति,

तहसीलदार/राजस्व अधिकारी

.....

यह विनिश्चित् किया गया है कि निम्नलिखित राशियों को, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, भू–राजस्व के बकाया तौर पर वसूल किया जाना चाहिए। कृपया इन्हें भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करें तथा नीचे मद क्रमांक 7 में वर्णित लेखा शीर्ष में जमा करें:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | विभाग/सक्षम प्राधिकारी का नाम जिसे कि राशि शोध्य है | |
| 2. | उस व्यक्ति का नाम, पिता का नाम तथा पूरा पता जिससे कि राशियां शोध्य हैं | |
| 3. | शोध्य राशियों का विवरण | |
| 4. | विधि का वह उपबंध जिसके अधीन राशियां भू–राजस्व के बकाया के तौर पर वसूली योग्य है। | |
| 5. | वह आदेशिका जिसके द्वारा राशि वसूल की जा सकेगी। | |
| 6. | उस संपत्ति का विवरण जिसके विरूद्ध आदेशिका निष्पादित की जा सकेगी। | |
| 7. | वह लेखा शीर्ष जिसमें वसूली के पश्चात् धनराशि जमा की जाएगी | |
| 8. | क्या धारा 155 के खण्ड (घ), (ई), (एफ), (जी) अथवा (ज) के अधीन यथास्थिति अपेक्षित प्रमाण–पत्र कुर्क किए गए हैं? | |

मुद्रा
दिनांक.....

सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम .....
पदनाम.....

**पावती/अभिस्वीकृति**

प्रति,

.....

.....

.....से ..... रूपए की राशि की वसूली के लिए ऊपर प्रस्तुत किए गए आवेदन की एतद्द्वारा अभिस्वीकृति दी जाती है।

मुद्रा
दिनांक.....

तहसीलदार/राजस्व अधिकारी
.....

प्ररूप –बीस
(नियम 15 देखिए)
मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता (भू–राजस्व की उगाही) नियम, 2020

भू–राजस्व की कमी के लिए आवेदन पत्र
[मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 147 (2) के अधीन]

| | |
|---|---|
| 1. आवेदक का नाम तथा पता (पूरा नाम दीजिए) | |
| 2. माता/पिता/पति का नाम | |
| 3. पूरा पता<br>(मोबाईल/फोन नंबर सहित) | |
| 4. भूमि का विवरण<br>(1) खाता क्रमांक<br>(2) सर्वेक्षण संख्यांक<br>(3) क्षेत्रफल<br>(4) भू–राजस्व<br>(5) ग्राम का नाम (जहां भूमि स्थित है)<br>(6) पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक<br>(7) तहसील ..... जिला ..... | |
| 5. वे आधार जिन पर भू–राजस्व में कमी चाही गई है | |

दिनांक.....  आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज–

1. अधिकार अभिलेख अथवा खाते की नवीनतम जमाबंदी की प्रति
2. यथास्थिति निस्तार पत्रक अथवा ग्राम वाजिब–उल–अर्ज में सुसंगत प्रविष्टियां
3. सिंचाई के संसाधन सहित सिंचित भूमि के सर्वेक्षण संख्यांक
4. कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**श्रीकांत पाण्डेय**, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ-2-5-2020-सात-शा-7.–भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-5-2020-सात-शा-7, दिनांक 23 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**श्रीकांत पाण्डेय**, अपर सचिव.

F-2-05-2020-VII-Sec-7 Bhopal, the 23rd September 2020

In exercise of the powers conferred by clause (xxxi), (xxxii), (xxxiv), (xxxv) and (xxxvi) of sub-section (2) of section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) read with sections 140, 142, 146, 147, 155 and section 161 of the said Code and in supersession of this department's Notification No. 189-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2457-62-VII-N-(Rules) dated 18th May, 1961 and Notification No. 3814-2502-VII -N-(Rules) dated 11th August, 1961, Notification No. 190-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960, Notification No. 191-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2804-5041-VII-N-(Rules) dated 12th June, 1961, No. F-1-4-VII- S 8- 87 dated 4th July, 1988, Notification No. 192-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2549-5163-60-VII-N-(Rules) dated 25th June, 1962, No. 1841-2882-VII-N. 1 dated 2nd June, 1972, Notification No. 336-CR-742-VII-N-(Rules) dated 11th January, 1960 as amended by Notification No. 2545-5163-VII-N-(Rules) dated 26th June, 1962 and Notification No. 194-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 and in supersession of all notifications issued in this behalf, the State Government, hereby, makes the following rules, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 31st August, 2020, namely :-

## RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ki Ugahi) Niyam, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

**2. Definitions.-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Bhulekh portal" means an official web portal of the State Government through which payment of land revenue may be made online;

(b) "challan" means a form used for making payment of land revenue through a bank or web portal;

(c) "Code" means the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959);

(d) "Form" means a form appended to these rules;

(e) "Schedule" means a schedule appended to these Rules;

(f) "Scheduled bank" means a bank included in the Second Schedule of the Reserve Bank of India Act, 1934 ( 2 of 1934); and

(g) "Section" means a section of the Code.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and have been defined in the Code, shall have the same meaning as assigned to them in the Code.

3. **Manner of payment of land revenue.-** (1) Subject to sub-rules (2) and (7) land revenue may be paid by any of the following manner-

(a) direct payment into the government treasury through Bhulekh portal;

(b) deposit through a scheduled bank authorised by the State Government for this purpose;

(c) payment to the Patel of the village or where no Patel is appointed, to the Patwari of the Halka; or

(e) payment to the Nagar Sarvekshak of the Sector.

(2) The State Government may, by notification in the official gazette, discontinue any of the manners of payment prescribed in sub-rule (1).

(3) It shall be the duty of the Patel, Patwari or Nagar Sarvekshak to deposit the money received by them under sub-rule (1) into the government treasury through Bhulekh portal within such time as may be directed by the State Government.

(4) In case of payment through Bhulekh portal the person making payment shall fill up a challan online. He shall have to click the 'Revenue Payment' icon on such portal. After completion of successful online payment an electronic receipt shall be generated in **Form – I.**

(5) In case of payment of land revenue to Patel, Patwari or Nagar Sarvekshak the person receiving the payment shall prepare receipt of payment in **Form – II** in duplicate and one copy shall be given to the person making the payment.

(6) In case of payment through a scheduled bank the payment shall be tendered with a challan in **Form – III** in triplicate. One copy of the challan signed by the bank employee receiving the money and stamped with bank's seal shall be returned to the person making payment.

(7)Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the State Government may, by notification in official gazette, authorise a local authority or a class of local authorities to collect such categories of land revenue as may be specified in the notification and upon such notification payment of such categories of land revenue shall be made to such local authority and in no other manner. The receipt of the payment shall be given in such Form as may be directed by the State Government.

**Explanation**: Local authority means a Municipal Corporation, Municipal Council, Nagar Parishad or Special Area Development Authority or a Jila Panchayat, Janapad Panchayat or Gram Panchayat established under the corresponding law for the time being in force.

**4. Notice of demand.**-(1) A notice of demand under Section 146 shall be issued in duplicate in **Form – IV.**

(2) Separate notice of demand shall be issued against different defaulters.

(3) Such notice shall be issued and served in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

**5. Cost recoverable as part of arrear.**- Costs at the following rates shall be recovered as part of arrear under Section 148,-

(a) rupees one hundred for serving a notice of demand under section 146; and

(b) rupees five hundred for issuing and enforcing any process in Section 147.

**6. Warrant of attachment of movable property.**- (1) Every warrant of attachment of movable property under clause (a) of sub-section (1) of Section 147

shall be issued in **Form - V**, and if its sale is to be enforced, a proclamation in **Form -VI** shall be issued.

(2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

(3) Attachment of movable property in compliance to such warrant shall be made in accordance with the provisions of Part VI of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

**7. Attachment of immovable property.**- (1)When immovable property is ordered to be attached under clause (b), (bb), (bbb) or (c) of sub-section (1) of Section 147 the attachment shall be made by issuing a prohibitory order in **Form - VII.**

(2) The proclamation of such order shall be made in the manner prescribed in sub-rule (2) of Rule 72 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

**8. Letting of holding.**- (1)Where the holding is to be let by auction, a proclamation shall be issued in **Form – VIII.**

(2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Part II of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

(3) After the sanction for letting is accorded, lease deed shall be executed in **Form – IX.**

**9. Sale of immovable property.**- (1)When the sale of immovable property is to be held, proclamation for sale shall be issued:-

(a) in case of sale under clause (b) of sub-section (1) of Section 147, in **Form - X**; or

(b) in case of sale under clause (c) of sub-section (1) of Section 147, in **Form - XI.**

(2) Such proclamation shall be issued in accordance with the provisions of Rule 79 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

**10. Certificate of sale.**-After the sale of immovable property, sale certificate shall be issued:-

(a) in the case of sale under clause (b) of sub-section (1) of Section 147, in **Form - XII**; or

(b) in the case of sale under clause (c) of sub-section (1) of Section 147, in **Form – XIII.**

**11. Procedure when property to be proceeded against is in another district.**- If the property to be proceeded against under clause (b) or (c) of sub-section (1) of Section 147 is in a district other than that in which the arrears accrued the Collector of the district in which such property is situated shall issue the required process on the motion of the Collector of the district in which arrears accrued.

**12. Attachment of bank account or bank locker.**- (1) When a bank account or bank locker is ordered to be attached under sub-section (2) of Section 147, the attachment shall be made by issuing a prohibitory order in **Form - XIV**.

(2) The proclamation of such order shall be made in the manner prescribed in sub-rule (3) of Rule 56 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nayalayon Ki Prikriya) Niyam, 2019.

**13. Arrest and confinement of a person committing default in payment of arrear of land revenue.**- (1) If any person continues in default of payment of arrear of land revenue exceeding Rupees fifty Lakh after the period allowed for the payment of such arrears in the notice of demand issued under sub-section (1) of Section 146 has lapsed, the Tahsildar may submit a report accordingly to the Sub-Divisional Officer:

Provided that where an objection to such notice has been made under sub-section (2) of Section 146, the Tahsildar shall submit report to the Sub-Divisional Officer after deciding such objection if required.

**Explanation:** For the purpose of this Rule, the arrear of land revenue includes the moneys recoverable as an arrear of land revenue under Section 155.

(2) On receipt of the report from the Tahsildar under sub-rule (1), the Sub-Divisional Officer may issue a notice in **Form XV** to such person calling upon him to appear before him on a day specified therein to show cause why he should not be committed to civil prison for failure to pay such arrears of land revenue.

(3) If such person fails to appear in pursuance of the notice issued under sub-rule (2), on the day specified therein and also continues in default of payment of such arrears of land revenue, the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of sub-section (3), (4) and (5) of Section 147, issue a warrant in **Form XVI**, for the arrest of such person.

(4) Where such person appears before the Sub-Divisional Officer in compliance to the notice issued under sub-rule (2) or is produced before him in pursuance of the warrant of arrest issued under sub-rule (3), the Sub-Divisional Officer shall give him an opportunity of showing cause why he should not be committed to civil prison for failure to pay such arrears of land revenue.

(5) Upon the conclusion of the inquiry under sub-rule (4), the Sub-Divisional Officer may, subject to the provisions of sub-section (3), (4) and (5) of Section 147, make an order for committal of such person to civil prison and issue a warrant of committal to jail in **Form-XVII** and shall in that event cause him to be arrested, if he is not already under arrest.

(6) The provisions of section 55 of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) shall apply mutatis mutandis to arrest under sub-rule (3) and (5).

(7) The order for release from civil prison shall be in **Form - XVIII**.

(8) The expenditure incurred on the confinement of a person in civil prison under sub-section (3) of Section 147 shall be borne by the State Government.

**14. Moneys recoverable as an arrears of land revenue.-** (1) Competent Authority to decide that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 shall be as per **Schedule - I**.

(2) Where a Competent Authority decides that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue under Section 155 it shall make an application in writing to the Tahsildar or such other Revenue Officer as may be empowered under the Code to recover the arrears.

(3) The application to be made by the Competent Authority shall be in Form **XIX** and such application shall contain the following particulars-

(a) the Competent Authority to whom the sum is due;

(b) the sum due;

(c) the person from whom the sum is due;

(d) the provision of law under which the sum is recoverable as an arrear of land revenue;

(e) the process by which the sum may be recovered;

(f) the property against which the process may be executed; and

(g) the certificate required under clause (d), (e), (f), (g) or (h) of Section 155, as the case may be.

(4) On receipt of the application, the Tahsildar or the Revenue Officer shall dispose it of in accordance with the provisions of the Code and the rules made thereunder.

(5) These rules shall not apply to such cases or class of cases as the State Government may, by notification, declare.

**15. Reduction in land revenue.**- (1) Application to be made by a Bhumiswami under sub-section (1) of Section 161 shall be in **Form –XX**.

(2) On receipt of the application, the Collector shall require the Superintendent of Land Records or the Assistant Superintendent of Land Records to make an inquiry as to the correctness of the details set out in the application and, to report within a period not exceeding three months, the results of the enquiry so made.

(3) When the reduction in the revenue is sought on the grounds set out in clause (i), (ii) or (iii) of sub-section (1) of Section 161, the person to whom inquiry is

entrusted, shall inspect the spot and collect such data as he considers necessary for the disposal of the application.

(4) After the receipt of the report under sub-rule (3), the Collector shall call upon the applicant to appear personally and to produce evidence in support of his claim. If after due examination of applicant and the evidence produced by him he is satisfied that the reduction should be ordered, he shall record an order to this effect which shall be communicated forthwith to the applicant, stating the amount by which the land revenue of the holding has to be reduced. A copy of the order shall be sent to the Tahsildar for necessary corrections to be made in the record-of-rights and in the demand list by the Patwari:

Provided that no such reduction shall be ordered if it is less than rupees one hundred.

(5) The computation of land revenue shall be done as per the provisions of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ka Nirdharan Tatha Punarnirdharn) Niyam, 2018.

**16. Repeal and Savings.** – (1) Following Rules are hereby repealed,-

(a) Rules made under section 140 regarding payment of land revenue by Notification No. 189-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2457-62-VII-N-(Rules) dated 18th May, 1961 and No. 3814-2502-VII -N-(Rules) dated 11th august, 1961;

(b) Rules made under Section 142 regarding receipt of payment of land revenue made by Notification No. 190-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960;

(c) Rules made under Section 144 regarding suspension and remission of land revenue made by Notification No. 191-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2804-5041-VII-N-(Rules) dated 12th June, 1961 and No. F-1-4-VII- S 8- 87 dated 4th July, 1988;

(d) Rules made under section 146 and 147 regarding notice of demand and issue of processes for the recovery of arrear by Notification No. 192-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960 as amended by Notification No. 2549-5163-60-VII-N-(Rules) dated 25th June, 1962 and No. 1841-2882-VII-N. 1 dated 2 June, 1972;

(e) Rules made under Section 155 regarding money recoverable as an arrear of land revenue by Notification No. 336-CR-742-VII-N-(Rules) dated 11th January, 1960 as amended by Notification No. 2545-5163-VII-N-(Rules) dated 26th June, 1962; and

(f) Rules made under Section 161 regarding reduction in revenue by Notification No. 194-6477-VII-N-(Rules) dated 6th January, 1960.

(2) Such repeal shall not affect the previous operation of any provision of the repealed rules or anything duly done thereunder and shall have effect as if it were done under the corresponding provisions of these rules.

**Schedule – I**
(see Rule 14)

**Competent Authority to decide that any money should be recovered in the same manner as an arrear of land revenue**

| S. No. | Class of money | Competent Authority |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | **Under clause (a) of Section 155**<br>Except such charges as are included in the land revenue under sub-section (2) of Section 58, all rents, royalties, water rates, cesses, fees, charges, premia, penalties, fines and cost payable or leviable under the Code or any other enactment for the time being in force | In case of moneys payable or leviable under the Code, Tahsildar<br><br>In case of moneys payable or leviable under any other enactment, the Court, authority or officer ordering payment of such moneys or levying such moneys under such enactment. |
| 2. | **Under clause (b) of Section 155**<br>All moneys falling due to the State Government under any grant, lease or contract which provides that they shall be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue. | The authority or officer sanctioning such grant, lease or contract. |
| 3. | **Under clause (bb) of Section 155**<br>All moneys guaranteed by the State Government to the extent of amount guaranteed under a contract of guarantee which provides that they shall be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue. | The authority or officer sanctioning such guarantee. |
| 4. | **Under clause (c) of Section 155**<br>All sums declared by the Code or any other enactment for the time being in force to be recoverable in the same manner as an arrear of land revenue. | In case of sums recoverable under the Code, Tahsildar<br><br>In case of sums recoverable under any other enactment, the Court, authority or officer ordering such recovery |
| 5. | **Under clause (d) of Section 155**<br>Any sum ordered by a liquidator appointed under any law relating to co-operative societies for the time being in force in any region of the State to be recovered as a contribution to the assets of a society or as the cost of liquidation. | Registrar appointed under such law |
| 6. | **Under clause (e) of Section 155**<br>Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh State Agro Industries Development Corporation Limited | Managing Director of the said Corporation |
| 7. | **Under clause (f) of Section 155**<br>Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh Laghu Udyog Nigam Limited and the Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam | Managing Director of the said Corporation |
| 8. | **Under clause (g) of Section 155**<br>Moneys becoming payable to the Madhya Pradesh Lift Irrigation Corporation Limited | Managing Director of the said Corporation |
| 9. | **Under clause (h) of Section 155**<br>Moneys becoming payable to such entity owned and controlled by the State Government as may be notified by the State Government in this behalf | The Chief Executive, by whatever name called, of the said entity |

**Form-I**
**(See rule 3 (4)**

**Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**After Successful payment receipt will generate.**
Receipt of land revenue (Copy of Applicant)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| आवेदन क्रमांक : . ..... Application No..... | ग्राम/नगर..... Village/Town..... | जीएसटीएन..... GSTN..... | दिनांक ..... Date..... | रसीद संख्या ..... Receipt No..... |
| पटवारी हल्का क्रमांक/ सेक्टर क्रमांक ..... Patwari Halka No/Sector No..... | राजस्व निरीक्षक वृत्त..... Revenue Inspector Cirvle..... | | तहसील ..... Tahsil..... | जिला ..... District..... |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| सेवा के ब्यौरे ..... Particulars of service..... | आवेदक/जमाकर्ता का नाम ..... Name of applicant/Depositor..... | | Public user def def | | |
| वर्ष ..... Year ..... | खाता संख्या... Holding No..... | क्षेत्रफल..... Area..... | भुगतान की गई भू–राजस्व की राशि रुपये..... ..... Amount of land revenue paid rupees..... | सेवा शुल्क रुपये ..... ..... Service fee rupees.... ..... | योग रुपये..... ..... ..... Total rupees..... ..... |

After which close the receipt & pay for "Kul Rajasv bhugtan rashi.

Select checkbox button & click on "Jama kare" button.

Note :- This is a computer generated receipt and no need of signature and seal on it.

700

# FORM -II

**In duplicate**

**(See rule 3 (5))**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**Receipt to be granted by patel, patwari and Nagar sarvekshak**

**Book no. ..... Receipt No.. .....** Date .....

1- Name of the holder
2- Bhumiswami or Government lessee ..... (√which is applicable)
3- District .....Tahsil .....village/Town .....
Patwari halka No/sector No.....Holding No .....

| Survey No./ Block No./plot No. | Area (in hectare or square meter ) | Name of Bhumiswami /Government lessee or other person making payment | Details of dues and year | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Year | Particulars of dues | Amount Due (in rupees) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | |
| | | | | | |

| Amount paid against column (5) | | Amount paid in words | Details of advance payment (up to 10 years) and amount (in words and figure) | Arrears/ Current | Total amount received |
|---|---|---|---|---|---|
| Year | Amount paid | | | | |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| | | | | | |
| | | | | | |

Signature of the person making payment

Signature and designation of receiver

Note- 1- Every person making payment to Government dues has a right to inspect his khata free of cost.

2- No receipt in a form other than this in respect of payment of Government dues is valid.

# FORM -III In triplicate

**[(See rule 3 (6)]**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**Challan Receipt in case of payment though schedule bank**

CHALLAN OF MONEY PAID INTO THE TREASURY

(Subsidiary Rule 19 and 22 under treasury rule 10 )

(To be presented in triplicate)

| By whom Brought | On what Account | Head | Amount (in rupees) |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | Total | |

**Head of Revenue**

| Department code and Name | Major Head | Sub-Major Head | Sub-Minor Head | Scheme Head | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Merchant No..... | | Description of HOA ..... | | Act/ Code ..... | CRN NO..... |
| Bank Scroll No. | Scroll Date | CIN Number | | BRN Number | |
| | | | | | |

**(FOR THE OFFICE USE OF TRESUARY)**

| Examined | Received | Entered | |
|---|---|---|---|
| | Rs. In figure..... | Challan No ..... | Challan Date ..... |
| | Rupees in words..... | | |
| Initial of Accounts | Signature of treasurer | Signature of treasurer | |

SEAL Signature of bank official receiving payment

# FORM -IV

(See rule 4)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the courtof.....**

Case No. .....

**Notice of demand**

**(Under section 146 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959)**

To

Shri.....son/daughter/wife of Shri.....resident of..... Village/Town.....Tahsil.....District.....

You are hereby required to take notice that a sum of Rs..... is due from you on account of arrears of land revenue as per details given in the sub joined statement, and that unless it is paid within..... days of the receipt of this notice, together with Rs..... being penalty, interest and cost of proceedings,coercive action according to law will be taken against you for recovery of the dues.

**Amount in Rupees**

| Village/Town | Patwari halka No./ Sector No. | Holding Number | Amount of arrears | Penalty and interest | Cost of serving notice | Total amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**SEAL** **Tahsildar**

**Dated.....** .....

**Where the notice is served personally, the endorsement shall be made as below-**

| | |
|---|---|
| Signature of witness.....<br>Name .....<br>Father's/husband's name.....<br>Address.....<br>.....<br>Mobile phone number.....(if any) | Signature of Receiver.....<br>Name.....<br>Mobile Phone Number.....(if any)<br>(Relation if other than the addressee)..... |
| Notice served by me on the .....day of..... year.<br>*Signature of server*.....<br>Name.....<br>Dated, the.....20... Designation..... | In case the notice is served through Tahsil, countersignature of Mal-Zamadar.<br>Seal Signature.....<br>Name.....<br>Dated, the.....20... Designation..... |

**Where the notice is served by affixing, the endorsement shall be made as below-**

| | |
|---|---|
| Witnesses by whom the house was identified and in whose presence notice was affixed.<br>(1)Signature of witness.....<br>Name .....<br>Father's/husband's name.....<br>Address.....<br>.....<br>Mobile phone number.....(if any)<br><br>(2)Signature of witness.....<br>Name .....<br>Father's/husband's name.....<br>Address.....<br>.....<br>Mobile phone number.....(if any) | 1. The notice served by me by affixing on .....(name of the place) on the.....day of.....year.....in the presence of the witnesses mentioned in margin.<br>2. Reasons for service of notice by affixing .....<br>.....<br>Signature of server<br>Name.....<br>Dated, the.....20... Designation..... |
| In case the notice is served through the Tahsil, countersignature of Mal-Zamadar.<br>Seal Signature.....<br>Name.....<br>Dated, the.....20..... Designation..... | |

**FORM -Y**

**(See rule 6 )**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of**.....

**Case No.** .....

**Warrant of attachment of movable property**

**[Under Section 147 (1) (a) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

**To**

.....

[Name and office of the person charged with the execution of the warrant]

Whereas.....son/daughter/wife of .....resident of....., Tahsil....., District ....., has made default in payment of Rs.....on account of land revenue as per details given in **Schedule-I**, you are hereby ordered to attach the movable property as mentioned **Schedule-II** below and unless the total amount due is paid, to hold the same until further orders of this Court .

You are further ordered to return this warrant on or before the .....day of ....., with an endorsement certifying the date on and the manner in which it has been executed or why it has not been executed.

## Schedule-I
## Details of arrears due

**Amount in rupees**

| Village / Town | Patwari halka No./Sector No. | Holding No | Particulars of arears | | | Total amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Amount of arrears | Cost of issuing and enforcing process | Penalty and interest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

## Schedule-II
## *Details of movable property attached*

1.....

2.....

SEAL Tahsildar

Dated..... .....

**FORM-VI**

**(See rule 6)**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of**.....

**Case No.** .....

**Proclamation of sale of movable property**

**[under Section 147 (1) (a)of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

Whereas the movable property specified below has been attached for the recovery of on account of arrear of land revenue, penalty, interest and cost of proceedings due by.....son/daughter/wife of resident of....., Tahsil.....,District.....

Proclamation is hereby made that unless the amount due be paid before the day herein fixed for the sale, the said property shall be sold by public auction at .....on the day of .....20...., at or about o'clock:-

| S. No. | Description of movable property | Number of articles |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| | | |

SEAL Tahsildar

Dated..... .....

**FORM -VII**

**(See rule 7)**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of.....**

**Case No. .....**

**Attachment of holding/immovable property**

**[Under sections 147 (1) (b), 147 (1) (bb), 147 (1) (bbb) and 147 (1) (c) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

Whereas.....son/daughter/wifeof.....resident of.....Tahsil.....District .....,
has made default in payment of Rs.....on account of.....due by him as per details given in **Schedule-I**

**Schedule-I**

**Details of arrears due**

**Amount in rupees**

| Village / Town | Patwari halka No./Sector No. | Holding No | Particulars of arears | | | Total amount due |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Amount of arrears | Cost of issuing and enforcing process | Penalty and interest | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

It is ordered that the said .....be and is hereby prohibited and restrained, until further order of this Court from transferring or charging the property specified in the following schedule by sale, gift or otherwise and all persons be and hereby in like manner prohibited from receiving same by purchase, gift or otherwise:-

**Schedule -II**

**(Description of immovable property)**

1.....

2.....

Issued under my hand and seal of this Court this.....Day of.....

SEAL Tahsildar

Dated..... .....

708

**FORM-VIII**

**(See rule 8)**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of.....**

Case No. .....

**Proclamation of letting of holding**

**[Under section 147 (1) (bb) and 147 (1) (bbb) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

Whereas the holding (s) specified below has (have) been attached for the recovery of the arrears of land revenue specified in column (6) and of Rs.....on account of cost of issuing and enforcing process due by.....son/daughter/wife of .....resident of.....Tahsil.....District.....

Proclamation is hereby made that unless the amount due be paid before the day hereby fixed for the letting, the said holding (s) shall be let for a period of.....agricultural years free from all encumbrances imposed on it (them) and all grants and contracts made in respect of it (them), by public auction at .....on the day of .....at or about..... O'clock.

**Amount in rupees**

| Village/Town | Patwari halka No./ Sector No. | Holding Number | Area (in hectare) | Assessment | Arrears |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

**Note.** –1. Arrears of land revenue due on each holding must be separately specified in column (6).

2. If a holding consists of more than one survey number or sub-division it would be open to the officer conducting the lease to lease one or more of such number as may be considered necessary to recover the arrears.

709

The letting of holding shall be subject to the following terms and conditions: -

(i) Only "landless persons" as defined in clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No 20 of 1959) and the rules framed thereunder, shall be eligible to bid at the auction.

(ii) The lessee shall not transfer any right in his land or part thereof by sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise and if any such transfer is made, it shall be void.

(iii) The lessee shall use the land only for agricultural purposes.

(iv) The lessee shall pay the full assessment of the land during the period of his lease.

(v) The lessee shall not make any construction of a permanent nature on the land or part thereof.

(vi) The lessee shall not be entitled to claim any compensation for expenditure incurred by him in connection with improvement in land affected by him during the period of the lease.

(vii) The lessee shall pay the entire amount of bid money immediately after the auction is knocked down in his favor or he may pay immediately at least 1/4th of the bid money and the rest of the amount shall be paid by him within 15 days of the date of auction.

(viii) If the remaining amount is not paid by the lessee within the specified period the amount of bid money already deposited shall be forfeited and the auction shall be held afresh.

(ix) It shall be at the discretion of the Tahsildar to accept the highest bid or not and to lease out the land.

(x) On the expiry of the period of lease, the lease shall automatically stand cancelled and the land under lease shall be deemed to have been transferred to the original owner.

SEAL Tahsildar

Dated..... .....

**FORM-IX**

**(See rule 3)**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

Case No. .....

**Lease Deed**

**[Under section 147 (1) (bb) and 147 (1) (bbb) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

This temporary lease of land in village/town .....tahsil.....district..... ..... more particularly specified in the schedule annexed is given by the Tahsildar of tahsil.....district.....to.....son/daughter/wife of .....resident of .....district, (who is hereinafter referred to as lessee) on the following terms and conditions:--

(1) The lessee shall hold the land from the agricultural year.....to the agricultural year.....;

(2) The lessee shall use the land only for the agricultural purposes.

(3) The lessee shall not make any construction of a permanent nature on the land or part thereof.

(4) The lessee shall not be entitled to claim any compensation for expenditure incurred by him in connection with improvement in land affected by him during the period of the lease.

(5) The lessee shall pay the full assessment of the land from the revenue year following the date of lease.

(6) The lessee shall not transfer any right in his land or part thereof by sale, gift, mortgage, sub-lease or otherwise and if any such transfer is made, it shall be void.

(7) On the expiry of the period of lease, the lease shall automatically stand cancelled and the land under lease shall be deemed to have been transferred to the original owner.

(8) If the lessee does not pay the land revenue on the specified date or commits a breach of any of the conditions specified above, the Tahsildar may enter the land and take possession of the land along with the standing crops (if any) and the Tahsildar shall not be liable to pay any damages or compensation in this regard.

**Schedule**

| Village/Town | Patwari Halka No./Sector No. | Survey No. | Area of land leased out | Assessment | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

Granted this day of.....20....

Tahsildar

Witness--

1.....

2.....

I have read and understand the conditions specified above and agree to abide by them.

Witness--

1.....

2.....

Signature of Lessee

712

**FORM-X**

**(See rule 9 )**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of**.....

**Case No.** .....

**Proclamation of sale of holding**

**[Under section 147 (1) (b) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959)**

Whereas the holding (s) specified below has (have) been attached for the recovery of the arrears of land revenue specified in column (6) and of Rs.....on account of cost of issuing and enforcing process due by.....son/daughter/wife of .....resident of ....., Tahsil..... District.....

Proclamation is hereby made that unless the amount due be paid before the day hereby fixed for the sale, the said holding (s) shall be sold free from all encumbrances imposed on it (them) and all grants and contracts made in respect of it (them) by public auction at .....on the day of .....20 ..... , at or about..... O'clock.

**Amount in rupees**

| Village/Town | Patwari Halka No./Sector No. | Holding Number | Area (in hectare) | Assessment | Arrears |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |

**Note.-** (i) Arrears of land revenue due on each holding must be separately specified in column (6).

(ii) If a holding consists of more than one survey numberor sub-division it would be open to the officer conducting the sale to sell one or more of such number as may be considered necessary to recover the arrears.

SEAL

Dated.....

Tahsildar

.....

**FORM-XI**
**(See rule 9 )**
**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of.......................................................................................................**

**Case No. .............**

**Proclamation of sale of immovable property**
**[Under Section 147 (1) (c) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959)**

Whereas the immovable property described below has been attached for the recovery of Rs...........on account of ............due by ..................son/daughter/wife of ............., resident of ..........., Tahsil.............., district............, plus Rs.......on account of cost of issuing and enforcing process.

Proclamation is hereby made that unless the total amount aforesaid be paid before the day herein fixed for the sale, the said property shall be sold by public auction at............ on the day of 20......, at or about .........O'clock.

The sale extends only to the right, title and interest of the said defaulter in the said property:

**Details of property**

| S. No. | Description | Assessment (if any) (in rupees) | Note of any known encumbrances, etc. |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

SEAL
Dated.................

Tahsildar
......................................

**FORM-XII**

**(See rule 10)**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of.....**

**Case No. .....**

**Sale certificate for land**

**[Under Section 147 (1) (b) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

This is to certify that..... son/daughter/wife of ..... resident of village .....Tahsil....., District .....has been declared the purchaser of the holding specified below at a sale by public auction held on the, day of..... 20..

Such sale transferred the property to the purchaser free from all encumbrances imposed on it, and all grants and contracts made in respect of it by any person other than the purchaser:

| Village/Town | Patwari halka No./Sector No. | Holding Number | Area (in hectare) | Assessment (in rupees) |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

| Details of Survey Nos./Block Nos./Plot Nos. comprising the holding | Name of recorded Bhumiswami | Amount for which purchased (in rupees) |
|---|---|---|
| (6) | (7) | (8) |
| | | |

SEAL

Dated.....

Tahsildar

.....

**FORM-XIII**

**(See rule 10)**

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of.....**

**Case No. .....**

## Sale certificate of Immovable property

**[Under Section 147 (1) (c) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

This is to certify that .....son/daughter/wife of ....., resident of village ....., Tahsil....., District.....has been declared the purchaser of the immovable property specified below at a sale by public auction held on the .....day of .....20.....

Such sale transferred to the purchaser the right, title and interest of .....son/daughter/wife of .....in the said property:

**Details of property**

| S. No. | Description | Place (where the property is situated) | Assessment (if any) (in rupees) | Name of recorded owner/ Bhumiswami | Amount for which purchased (in rupees) |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| | | | | | |
| | | | | | |

SEAL

Dated.....

Tahsildar

.....

716

**FORM-XIV**
**(See rule 12)**
**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva Ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the court of**.....

Case No. .....

**Warrant of attachment of bank account / bank locker**
**[Under section 147 (2) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

To

.....

[Name and office of the person charged with the execution of the warrant]

Whereas.....son/daughter/wife of.....residentof....., Tahsil....., District ....., has made default in payment of Rs.....on account of land revenue as per details given in Schedule-I. You are hereby ordered to attach the bank account/bank locker of the said person as per the details given in Schedule-II and unless the total amount due is paid to hold the same until further orders from this Court. This order restrains you from opening another bank account or bank locker of such person.

You are further ordered to return this warrant on or before the .....day of .....,with an endorsement certifying the date on and the manner in which it has been executed or why it has not been executed:-

**Schedule-I**
**Particulars of the arrears due**

**Amount in rupees**

| Amount of arears | Cost of issuing and enforcing process | Penalty and interest (if any) | Total amount due |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | | | |

**Schedule-II**

1. Details of Bank Lockers .....
2. Details of Bank Account No.....

SEAL
Dated.....

Tahsildar
.....

717

**FORM - XV**
(See Rule 13)

**Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the Court of Sub-Divisional Officer.....**

**Case No.....**

.....

Vs.

.....

**Notice**

**[Under section 147 (3) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

To,

Whereas, you have remained in default of payment of land revenue amounting to Rs. ..... (Rupees .....) inspite of the Notice of demand No..... dated.....served on you by the Tahsildar....., Tahsil, district .....

Now, therefore, you are hereby called upon to appear before this Court on the ..... day of .....20 ..... to show cause why you should not be committed to civil prison for failure to deposit the said amount.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of .....of.....20...

SEAL

Date.....Sub-Division.....

Sub-Divisional Officer

District .....

718

**FORM - XVI**
(See Rule 13)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**
**In the Court of Sub-Divisional Officer.....**

**Case no. ..... / 20.....**

..... Applicant
Versus
..... Non applicant

WARRANT OF ARREST

[Issued in exercise of powers under sub-section (3) of section 147 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)]

To
.....
.....
(Name and designation of the person who is to execute the warrant)

WHEREAS .....(name of warantee) son / daughter / wife of ..... resident of ..... (full address) has remained in default of payment of land revenue amounting to Rs. ..... (Rupees .....) inspite of Notice of demand No..... dated..... served on him / her by Tahsildar....., Tahsil , district ..... .

And whereas .....(name of warantee) was called upon to appear before this Court on ..... by notice dated ..... and show cause as to why he should not be committed to civil prision for failure to deposit the said amount.

And whereas, the said..... has failed to appear before this Court on the day specified in the said notice and also continued to remain in default of payment of the said amount;

Now, therefore, you are hereby ordered to arrest the said ..... (name of warantee) and bring him / her before this Court with all convenient speed, unless he / she hands over to you proof of having paid the said amount.

You are further ordered to return this warrant on or before the ..... day of .... 20.. with an endorsement certifying the day on and the manner in which it has been executed or the reason why it has not been executed.

Given under my hand and the seal of the Court, this .....day of .....20.....

SEAL
Dated, the..... Sub-Division.....

**FORM - XVII**
**(See Rule 13)**
**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the Court of Sub-Divisional Officer.....**

**Case No.....**

.....

Vs.

.....

**Warrant of committal to Jail**

**[Under section 147 (3) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

To,

The Officer –in-charge of the Jail at.....

Whereas..... remained in default of payment of land revenue amounting to Rs. ..... (Rupees .....) inspite of the Notice of demand No..... dated..... served on him / her by the Tahsildar....., Tahsil, district .....;

And whereas ..... was called upon to appear before this Court on ..... vide Notice No..... dated ..... ;

And whereas, after having appeared/brought before this Court has not satisfied this Court as to why he / she should not be committed to civil prison on this account;

Now, therefore, you are hereby commanded and required to take and receive the said .....into the civil prison and keep him/her imprisoned therein for a period of..... days with effect from ..... to..... (both days inclusive).

Given under my hand and the seal of the Court, this day of .....of.....20.....

SEAL
Date.....

Sub-Divisional Officer
Sub-Division.....
District .....

**FORM - XVIII**

(See Rule 13)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**In the Court of Sub-Divisional Officer.....**

**Case No.....**

.....

Vs.

.....

**Order for Release**

**[Under section 147 (5) of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

To,

The Officer –in-charge of the Jail at.....

Under order passed this day, you are hereby directed to set free..... now in your custody unless he is liable to be detained for some other cause.

Given under my hand and the seal of the Court, this day of .....of.....20.....

Date.....

Sub-Divisional Officer,
Sub-Division.....
District.....

**FORM - XIX**
(See Rule 14)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

**Application for recovery of sums as an arrear of land revenue [Under section 155 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]**

To,

The Tahsildar/ Revenue Officer

.....

It has been decided that the following sums should be recovered as an arrear of land revenue,details of which are given below. Kindly recover these as an arrear of land revenue and deposit in the account head mentioned below at item no. 7 below: -

| | |
|---|---|
| 1. Name of the Department/ the Competent Authority to whom the sum is due | |
| 2. Name of the person, father's name and full address from whom the sums are due | |
| 3. The particulars of sums due | |
| 4. The provision of law under which the sums are recoverable as an arrear of land revenue | |
| 5. The process by which the sum may be recovered | |
| 6. Description of the property against which the process may be executed | |
| 7. Account Head in which the amount is to be deposited after recovery | |
| 8. Whether the certificate required under clause (d), (e), (f),(g) or (h) of Section 155, as the case may be has been attached? | |

SEAL
Date.....

Signature of Competent Authority
Name.....
Designation.....

**Receipt/Acknowledgment**

To

.....
.....

The application submitted above for recovery of sums amounting rupees ..... from..... is hereby acknowledged.

SEAL
Date: .....

Tahsildar/Revenue Officer
.....

FORM - XX
(See Rule 15)

**The Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Bhu-Rajasva ki Ugahi) Niyam, 2020**

***Application Form for reduction of and revenue***

[Under section 161(2)of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959]

| | |
|---|---|
| 1. Applicant's name and address (give full name). | |
| 2. Mother's/Father's/Husband's name | |
| 3. Full address<br>(Including Mobile Phone No.) | |
| 4. Description of land<br>(1) Holding No.<br>(2) Survey No.<br>(3) Area<br>(4) Land revenue<br>(5) Name of the Village (where land is situated)<br>(6) Patwari Halka No./Sector No.<br>(7) Tahsil.....District..... | |
| 5. Grounds on which reduction in land revenue is sought | |

Dated.....Signature of the applicant

***Documents to be attached-***

1. Copy of Record of Rights or latest Jamabandi of the holding
2. Relevant entries in the Nistar Patrak or Village Wajib-ul-arz, as the case may be
3. Survey Numbers of irrigated land with source of irrigation
4. Any other relevant documents

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.